भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1812

जिसका उत्तर 01.08.2024 को दिया जाना है

मंथानी क्षेत्र को राजमार्ग से जोड़ा जाना

1812. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना राज्य के मंथानी क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तेलंगाना के राज्य राजमार्ग के 130 किमी लम्बे जगतियाल (एनएच-565)-पेड्डापल्ली-मंथानी-कटारम (एनएच- 353सी) खंड के उन्नयन के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभानता है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। राज्य राजमार्ग के जगतियाल (एनएच-565)- पेड्डापल्ली - मंथनी - कटारम (एनएच-353सी) खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है। मंत्रालय को तेलंगाना राज्य सहित विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। मंत्रालय समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के मानदंडों की पूर्ति, संपर्कता की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कुछ राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*****